न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– उमा मित्तल आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 178/2025

गीतांशु धारनिया पुत्र नंदराम धारनिया जाति बिश्नोई साकिन वार्ड नं. 21 न्यायालय परिसर के पास पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

— — वादी

–:: बनाम ::–

1. नन्दराम पुत्र भागीरथ जाति बिश्नोई साकिन वार्ड नं. 21 पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. वेदवन्ती पत्नी नन्दराम जाति बिश्नोई साकिन वार्ड नं. 21 पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. ज्योति पुत्री नन्दराम पत्नी प्रवीन कुमार जाति बिश्नोई साकिन चक सरदारावाली 91 आर.डी. तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

— — प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा, खाता विभाजन

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री हीरालाल बिस्थलिया अधिवक्ता	वादी
2. श्री राधेश्याम वर्मा अधिवक्ता	प्रतिवादी सं. 1 ता 3
3. राज पैरोकार	प्रतिवादी सं.4

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 11/09/25

वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्व यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय मे प्रस्तुत किया संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है, कि वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य है जो मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ से शासित होते है तथा परस्पर सहदायिक एवं सहअंशदायी है। उक्त हिन्दु संयुक्त परिवार के कर्ता श्री भागीरथ थे।

प्रतिवादी सं. 1 के नाम से एकल खाता की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक 4 एलकेएस–बी के खाता सं. 20 के प.नं. 13/273, 14/271 की कुल 6.742 हैक्ट. नहरी म.गै.मु. मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है।

प्रतिवादी सं. 2 के नाम से एकल खाता की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक 4 एलकेएस–बी के खाता सं. 48 के प.नं. 14/271, 15/272 की कुल 6.831 हैक्ट. नहरी म.गै.मु. मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है।

वाद पत्र की मद सं. 3–4 मे प्रतिवादी सं. 1–2 के नाम वर्णित कृषि भूमि पूर्व मे वादी के दादा श्री भागीरथ पुत्र खिराज राम के नाम से दर्ज राजस्व अभिलेख थी। चूंकि वादग्रस्त कृषि भूमि भागीरथ की पैतृक कृषि भूमि होने के कारण प्रतिवादी सं. 1–2 ने अपने हक व हिस्सा की घोषणा व विभाजन के लिए एक वाद [illegible] मे बअनवानी नन्दराम आदि बनाम भागीरथ प्र.सं. 122/20[illegible] 2017 को वाद वादीगण निर्णय व डिक्री हुआ। इससे स्पष्ट है वर्तमान राजस्व अभिलेख मे प्रतिवादी सं. 1–2 के नाम वर्णित कृषि भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमे वादी का जन्म से ही हक व हिस्सा निहित हो चुका है। वादग्रस्त कृषि भूमि को लेकर कुछ समय पूर्व पारिवारिक बंटवारा हुआ और पारिवारिक बंटवारा के समय प्रतिवादी सं. 3 ने अपना समस्त हक व हिस्सा वादी की पक्ष मे मौखिक रूप से त्याग कर दिया तत्पश्चात वादी को घरू बंटवारा मे निम्न कृषि भूमि प्राप्त हुई

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.10.06 16:34:29 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

क. वादी को घरू बंटवारा मे प्राप्त कृषि भूमिः–

चक	प.नं.	किला	तादादी
4 एलकेएस–बी	14 / 271	6 ता 25	5.060 हैक.

शेष कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1–2 ने अपने पास रख ली।

वादी का कब्जा वाद पत्र की दफा 5 की उप दफा "क" मे वर्णितानुसार घरू बंटवारा के समय से चला आ रहा है और वर्तमान मे भी वादी इसी अनुसार काबिज काश्त है और फसल काश्त की हुई है, लेकिन वर्तमान राजस्व अभिलेख मे समस्त कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1–2 के नाम से दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों पर विपरित असर पड़ता है इसलिए वादी वाद पत्र की दफा 5 की उप दफा "क" मे वर्णित 5.060 हैक. कृषि भूमि की घोषणा करवाने एवं प्रतिवादी सं. 1–2 से खाता तकसीम करवाने का अधिकारी हैं।

वादी ने प्रतिवादीगण से कई बार कहा कि वे वादग्रस्त कृषि भूमि मे वादी का हक व हिस्सा मानते हुये वादी के नाम से मुताबिक घरू बंटवारा अनुसार राजस्व अभिलेख मे इन्द्राज करवा देवे तो प्रतिवादीगण कुछ दिन तो टालमटोल करते रहे, परन्तु आज से 5 दिवस पूर्व प्रतिवादीगण ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया है, जो कि वाद कारण है।

वाद पत्र उचित कोर्ट फीस पर तथा न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है।

अतः वाद वादी पेश कर निवेदन है कि वाद वादी निम्नानुसार स्वीकार किया जाकर डिक्री फरमाया जावे :–

क. कि घोषित किया जावे कि वाद पत्र की दफा 5 की उप दफा "क" मे वर्णित 5.060 हैक. कृषि भूमि का वादी खातेदार काश्तकार है।

ख. कि मुताबिक अनुतोष "क" वादी की कृषि भूमि का खाता तकसीम प्रतिवादी सं. 1, 2 से किया जाकर रकम राज अलग कायम की जावे।

ग. कि खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

घ. कि अन्य कोई अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे दिलाया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया वादी एवम् प्रतिवादीगण के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा होनें के कारण प्रतिवादी सं. 1 ता 3 ने अपना इकबाल दावा पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया।

इकबाल दावा मे कथन किये गये कि वादग्रस्त कृषि भूमि वादी व प्रतिवादीगण की पैतृक कृषि भूमि है। प्रथम पक्ष / वादी का वाद पत्र मुताबिक इकबाल दावा वाद पत्र डिक्री किया जावे।

प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य राजीनामा होने पर किसी प्रकार का प्रतिवादी नही होने के कारण प्रकरण मे तनकीयात कायम नही होने से उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई, दौरानें बहस विद्वान अधिवक्तागणो ने वाद एवम् राजीनामा मे दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया। इस सम्बंध मे आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 40–53, 38–39–40, आर.आर.डी., 1966 पेज 71 ए.आई.आर. 1976 एससी पेज 807 व 178 आर.आर.डी. पेज 219 आर.आर.डी. 1975–478, ए.आई.आर. 1966 ;एससी 432 आर.आर.डी. 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आर.टी.ए. की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी बोर्ड ऑफ रेवेन्यु अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 [illegible] पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व ;ग्रुप–6 विभाग जयपुर के पत्रांक [illegible] राज [illegible] / 97 / 10 दिनांक 08.09. 1997 के अनुसार सह कृषकों में जोत [illegible] तो ऐसी सहमति के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दू उत्तराधिकारी [illegible] अनुसार पुत्र को अपनें पिता की पैतृक सम्पत्ति मे जन्म से ही अधिकार है। इसलिए पुत्र अपने पिता की पैतृक सम्पत्ति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता [illegible]

ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय नें पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारीक समझौता धोखा धडी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.10.06 16:34:29 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6–7, जाब्ता दीवान)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :–उमा मित्तल आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 176/2025

गीतांशू धारनिया पुत्र नंदराम धारनिया जाति बिश्नोई साकिन वार्ड नं. 21 न्यायालय परिसर के पास पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

– – वादी

–:: बनाम ::–

1. नन्दराम पुत्र भागीरथ जाति बिश्नोई साकिन वार्ड नं. 21 पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. वेदवन्ती पत्नी नन्दराम जाति बिश्नोई साकिन वार्ड नं. 21 पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. ज्योति पुत्री नन्दराम पत्नी प्रवीन कुमार जाति बिश्नोई साकिन चक सरदारावालो 91 आर.डी. तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

– – प्रतिवादीगण

अन्तर्गत धारा :– 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा, खाता विभाजन

निर्णय दिनांक :– 11/09/25

वादी की ओर से श्री हीरालाल बिस्थलिया अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की ओर से श्री राधेश्याम वर्मा अधिवक्ता, राज पैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को उमा मित्तल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के द्वारा प्रस्तुत इकबाल दावा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 53 के अन्तर्गत वाद मे वर्णित कृषि भूमि का निम्नानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन किया जाता है:–

क. वादी को घरू बंटवारा मे प्राप्त कृषि भूमि:–

चक	प.नं.	किला	तादादी
4 एलकेएस–बी	14/271	6 ता 25	5.060 हैक.

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होनें की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होनें की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन / गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 11/09/25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुहर से आज दी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.10.06 16:34:29 IST
Reason: SelfAttested

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा